an>

Title: Need to provide water of Ravi and Beas rivers to Rajasthan as per agreement.

श्री राहुल कस्वां (चुरू) ः राजस्थान के सिधमुख - नोहर क्षेत्रू के लिए बहाव पद्धति द्वारा सिंचाई हेतु 0.47 एम.ए.एफ. पानी का आवंटन किया गया था। वर्तमान में यह पानी 0.30 एम.ए.एफ. ही मिल रहा है। शेष पानी के लिए केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात की पुष्टि की गई कि पंजाब सरकार ने भाखड़ा मेन लाइन की क्षमता बहाली का वांछित कार्य पूर्ण कर लिया है और भाखड़ा मेन लाइन की क्षमता बहाल हो गई है। इसलिए अधिशेष रावी-व्यास जल के हिस्से में से 0.17 एम.ए.एफ. (एक्स नांगल) जल का शीघ्र आवंटन किया जाए।

सिधमुख-नोहर क्षेत्रू के लिए अधिकृत जल 0.47 एम.ए.एफ के हिसाब से सिंचित क्षेत्रू का डिजाइन तैयार किया गया था। 0.17 एम.ए.एफ. पानी नहीं मिलने के कारण व नहर के अलाइनमेंट में परिवर्तन के कारण, भादरा तहसील के 14 गांव, तारानगर तहसील 2 व नोहर क्षेत्रू के 6 गांवों को इससे वंचित कर दिया गया। वर्तमान नोहर, भादरा व तारानगर के कुल 28 गांवों के किसी भी सिंचाई योजना से नहीं जुड़ने के कारण किसान निराश हैं और वे पिछले 3 माह से धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि इन गांवों को चौधरी कुम्भ राम आर्य लिफ्ट से जोड़ा जाए। वर्तमान में ये गांव चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट व सिधमुख नोहर सिंचाई प्रणाली से जुड़े हुए। 1981 में पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ था जिससे राजस्थान राज्य का हिस्सा 8.60 एम.ए.एफ. निर्धारित किया गया था। राजस्थान काफी वर्षों से अपने संपूर्ण हिस्से की मांग कर रहा है जबकि भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल 8.00 एम.ए.एफ. जल का ही आवंटन कर रहा है। राजस्थान अपने शेष 0.60 एम.ए.एफ. जल के लिए वर्षों से प्रयास कर रहा है इसके लिए काफी प्रतिवेदन भी दिए गए हैं, लेकिन पंजाब राजस्थान के संपूर्ण हिस्से का जल नहीं दे रहा है। चौधरी कुम्भाराम आर्य साहवा लिफ्ट का डिजाइन 8.60 एम.ए.एफ. पानी के हिसाब से किया गया था, लेकिन निर्धारित जल नहीं मिलने से काफी बड़ा सिंचाई क्षेत्रू कम हो गया है। चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट का पूर्व निर्धारित सिंचित एरिया कम करने से नोहर, तारानगर, राजगढ़ व सरदारशहर तहसील के करीबन 124 गांवों के किसान प्रभावित हुए हैं। इनका सिंचित एरिया 2.40 लाख हेक्टेयर था, पूरा जल नहीं मिलने के कारण जिसे घटाकर 1.66 लाख हेक्टेयर कर दिया गया। किसान सिंचित एरिया बहाल करने की मांग कर रहे हैं। भूमि का रकबा बिना सिंचाई सुविधा से कट जाने के कारण क्षेत्रू में काफी आक्रोश है। राजस्थान सरकार के सामने कानून व्यवस्था बनाने का संकट पैदा हो गया है। मेरी सरकार से मांग है कि हमारे हिस्से का 0.60 एम.ए.एफ. व 0.17 एम.ए.एफ. जल अविलंब उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे।